राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4146/2010

एवं

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या :– 100/2015

मामराज वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, परिवहन विभाग, शासन सचिलवाय, जयपुर।
2. आयुक्त, परिवहन, परिवहन भवन, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.11.2010

आदेश की दिनांक : 13.02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री रामेश्वर शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि एलडीसी कैडर से मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी का विकल्प पत्र स्वीकार किया जावे और उक्त पदोन्नति हेतु विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 11.12.1996 को एलडीसी के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 30.04.2000 को आईजीएनपी, जैसलमेर द्वारा अधिशेष घोषित किया गया और आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक

16.06.2000 द्वारा परिवहन विभाग में समायोजित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.06.2000 द्वारा जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय गंगानगर में एलडीसी के पद पर पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के अनुसार मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा एवं 25 प्रतिशत पद एलडीसी कैडर से पदोन्नत द्वारा भरे जाते हैं, जिसमें एलडीसी के साथ–साथ डिप्लोमा/सर्टिफिकेट ऑटोमोबाइल इंजीनियर में होना आवश्यक है। परंतु आदेश दिनांक 06.01.1998 के द्वारा यह संशोधन हुआ कि जो वर्ष 1998 से पूर्व नियुक्त हुए हैं, उनको ऑटोमोबाइल इंजीनियर में विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा और इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 1996 में एलडीसी के पद पर नियुक्त हुआ था और इस प्रकार विभाग द्वारा एलडीसी कार्मिकों से दो चैनल के माध्यम के लिए एक एलडीसी से यूडीसी, कार्यालय सहायक आदि के लिए और दूसरा एलडीसी से मोटर वाहन उप निरीक्षक, एमवीएस, डीटीओ आदि के लिए पदोन्नति हेतु विकल्प मांगे गये। अपीलार्थी द्वारा मोटर वाहन निरीक्षक के पद के लिए विकल्प प्रस्तुत किया गया, परंतु विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया और वह एलडीसी के पद पर ही कार्यरत है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि एलडीसी कैडर से मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी का विकल्प पत्र स्वीकार किया जावे और उक्त पदोन्नति हेतु विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को नियमानुसार वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दे दी गई है और वह चयनित वेतनमान का लाभ भी प्राप्त कर चुका है। अपीलार्थी विभाग में दिनांक 03.09.2001 को आया है और कनिष्ठ लिपिक को अग्रिम पद से पूर्व यह विकल्प मांगा जाता है। नियम 1963 को संशोधित प्रावधान के अनुसार दिनांक 06.01.1998 से पूर्व परिवहन विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के पात्र हो सकते हैं और अपीलार्थी दिनांक 06.01.1998 को विभाग में नियुक्त नहीं था। दिनांक 03.09.2001 को विभाग में अपीलार्थी आया है, इसलिये उक्त पद पर पदोन्नति का पात्र नहीं है। अपीलार्थी को वर्ष 2006–07 में विभागीय पदोन्नति

समिति की सिफारिश पर वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दे दी गई है और चयनित वेतनमान का लाभ भी दे दिया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.12.1996 को एलडीसी के पद पर हुई थी और उसे आईजीएनपी, जैसलमेर नियुक्त किया गया और उसे नियमानुसार आदेश दिनांक 16.06.2000 के द्वारा अधिशेष घोषित कर आदेश दिनांक 26.06.2000 के द्वारा स्थायी रूप से एलडीसी के पद पर परिवहन विभाग में समायोजित किया गया। राज्य कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किए जाने की स्थिति में वरिष्ठता निर्धारण संबंधी नियमों के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा उसे वरिष्ठता प्रदान कर दी गई लेकिन मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए नियमों में उपलब्ध प्रावधान से उसे वंचित किया जा रहा है, जो हमारे मत में नियम विरूद्ध है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी विभाग में वर्ष 2000 में आया है। चूंकि अपीलार्थी को विभाग द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति भी प्रदान की गई है और यदि अपीलार्थी ने वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति ग्रहण कर ली है तो उसका मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का क्लेम समाप्त नहीं माना जा सकता। चूंकि अपीलार्थी को वर्ष 2006–07 में वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई है। जबकि मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति वर्ष उससे पूर्व वर्ष की है। अपीलार्थी को आईजीएनपी से परिवहन विभाग में सरप्लस करने में अपीलार्थी का कोई योगदान नहीं है। जब परिवहन विभाग द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.12.1996 मानकर उसे वरिष्ठता प्रदान की गई है और इस प्रकार उसे हमारे मत में मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य माना जाना इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी परिवहन विभाग में वर्ष 2000 में आया है। चूंकि अपीलार्थी का नियमित नियुक्ति वर्ष 1996 में हुई है और इस प्रकार नियम, 1963 में संशोधन के आधार पर अपीलार्थी वर्ष 1998 से पूर्व का नियमित नियुक्त कार्मिक है और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से भी विकल्प पत्र लिया जाना चाहिए था, परंतु प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं कि वह वर्ष 2001 के बाद परिवहन विभाग में अपीलार्थी आया है। इसलिये अपीलार्थी मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर

पदोन्नति पात्र नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग के उक्त तर्क में कोई बल न पाये जाने के कारण अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.12.1996 मानते हुए उसे मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विकल्प पत्र देने एवं पदोन्नति हेतु पात्रता परीक्षा में शामिल किए जाने योग्य घोषित किया जाकर उसकी वरिष्ठतानुसार एवं नियमानुसार उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

अधिकरण द्वारा दिनांक 30.11.2010 को जारी स्थगन आदेश की पुष्टि (confirm) की जाती है। साथ ही अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उक्त स्थगन आदेश के क्रम में अधिकरण के समक्ष अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 100/2015 को वर्तमान अपील संख्या 4146/2010 के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है तथा अधिकरण के संबंधित कार्मिक को वर्तमान अपील संख्या 4146/2010 पत्रावली के साथ टैग करने के निर्देश दिए जाते हैं।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)